रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970/आश्विन 4, 1892

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970/ASVINA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September 1970

G.S.R. 1720.—In exercise of the powers conferred by Explanation 1 to section 44A of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby declares, with effect on and from the 26th September, 1970, the Territory of Papua and New Guinea to be reciprocating territory for the purposes of the said section and specifies the Supreme Court of the Territory of Papua and New Guinea as a superior Court with refcrence to such territory.

[No. F. 12(2)/70-J.]

A. S. CHAUDHRI, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० 1720.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 44 क के स्पष्टीकरण-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए टैरिटरी आफ पपुआ और न्यू गिनी को 26 सितम्बर, 1970 की ओर से व्यतिकारी राज्यक्षेत्र होने के लिए घोषित करती है और टैरिटरी आफ पपुआ और न्यू गिनी की सुप्रीम कोर्ट को ऐसे राज्यक्षेत्र के प्रति निदेश से वरिष्ट न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० फा० 12(2)/70-जे]

ए० एम० चौधरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970